मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्र. 8031 /ज.शि.नि.प्र./**लोकपाल**-एनआर–14/2021 भोपाल, दिनांक 17 /03/2021

प्रति,

सचिव,
लोकायुक्त कार्यालय,
लोकायुक्त भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषयः- संभागीय लोकपाल कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

—-&——

राज्य सूचना आयोग के आदेश दिनांक 23.12.2020 के परिपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 के परिपालन में मनरेगा लोकपाल को प्राप्त शिकायती आवेदन पत्र से संबंधित समस्त दस्तावेज और अभिलेख की जानकारी वेबसाईट पोर्टल पर उपलब्ध कराने का लेख किया गया है, उक्त आदेश के अनुक्रम में समस्त जानकारी मनरेगा के वेबसाईट पोर्टल http://nregsmp.org/Lokpal/Default.aspx पर निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई गई है।

जिला	प्रकरण शीर्षक	शिकायतकर्ता से प्राप्त मनरेगा संबंधित शिकायत	लोकपाल (मनरेगा) कोर्ट आदेश	प्रकरण की स्थिति
XYZ	मनरेगा शिकायत वाद संख्या XYZ आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम XYZ बनाम XYZ (जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी है) पता- XYZ	शिकायत की प्रति अपलोड	आदेश की प्रति अपलोड	लंबित/ निराकृत

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(a) के तहत प्रदेश के समस्त मनरेगा लोकपाल कार्यालय में लोकपाल मनरेगा से जुडे आर.टी.आई आवेदन लोकपाल कार्यालय में दायर करने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाना है, तथा उपरोक्त प्रारूप में प्राप्त शिकायतें दर्ज की जाना है।

अतः संभागीय मनरेगा लोकपाल कार्यालय में पदस्थ अध्यक्ष को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य क्र. 01 लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किये जाने का अनुरोध है।

कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही कर परिषद कार्यालय को अवगत कराये जाने का अनुरोध है, साथ ही वेबसाईट लिंक के संबंध में समस्या आने पर सिस्टम एनालिस्ट, मनरेगा परिषद से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नः- यथोपरि

17/03/21
(सूफिया फारूकी वली)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र. 8032 /ज.शि.नि.प्र./**लोकपाल**-एनआर–14/2021 भोपाल, दिनांक 17 /03/2021

प्रतिलिपि :-

1. मान. राज्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल की ओर आदेश क्र.C-06002/REWA/2020/8514 दिनांक 23.12.2020 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।

2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संभागायुक्त, संभाग समस्त मध्यप्रदेश की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि मान. लोकपाल से प्राप्त अधिनिर्णय/जांच प्रतिवेदन मूलत: कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये गये है कृपया बैठक में मान.लोकपाल से पारित अधिनिर्णय के अपलोड की समीक्षा करें।
6. मुख्यकार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कलेक्टर से प्राप्त मान. लोकपाल के अधिनिर्णय को उल्लेखित लिंक पर निर्धारित प्रारूप में पी.ओ/ए.पी.ओ मनरेगा से 03 तीन दिवस में अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस हेतु पी.ओ/ए.पी.ओ की डयूटी लगाई जाकर परिषद को सूचित किया जावें।
7. श्री अंशुल अग्रवाल, सिस्टम एनालिस्ट, रोजगार गारंटी परिषद, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि राज्य सूचना आयोग के पारित ओदश दिनांक 23.12.2020 के अनुसार मनरेगा के पोर्टल पर समस्त दस्तावेज अपलोड हो तथा इस हेतु वांछित लॉगिन एवं पासवर्ड जिलों को प्रदाय करें एवं समस्त कार्यवाही 03 दिवस की समय-सीमा में पूर्ण करें।

17/03/21

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद